इण्डियन ओवरसीज बैंक
एमआई रोड शाखा, जयपुर (0158) 11, ऋतुराज बिल्डिंग, एमआई रोड, अमरापुरा रस्थार के सामने, जयपुर, राजस्थान- 302001
ईमेल: iob0158@iob.in फोन- 0141-2371711, 2361710

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का रचानात्मक कब्जा इंडियन ओवरसीज बैंक, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है, और जो कुछ भी है"** के आधार पर बकाया **रू. 1,08,77,126.32** (रुपये एक करोड़ आठ लाख सत्तहत्तर हजार एक सौ छब्बीस एवं बत्तीस पैसे मात्र) दिनांक **29.02.2024** तक व **01.03.2024** से अनुबंध की दर पर आगे का ब्याज, पूर्ण भुगतान होने तक शुल्को सहित शेष हेतु **निम्नलिखित ऋणीयों/जमानतदारों** से इंडियन ओवरसीज़ बैंक, प्रतिभूत लेनदार के बकायों की वसूली हेतु **दिनांक 05.04.2024** को विक्रय किया जायेगा।

ऋणी (नाम और पूरा पता): मैसर्स अग्रिम डेयरी (पार्टनरशिप फर्म) (ऋणी) पता: एल–6, प्रथम तल, चित्तरंजन पार्क, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली–110019, पता: मूतल, दुकान नंबर 1921/19, गोविंदपुरी एक्सटेंशन कालकाजी, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली–110019, इकाई/फर्म का पता: ग्राम कुंभपुरिया, पोस्ट– नांगल, कोजू, पटवारहल्का नागलकोजू, तहसील चौमू, सीकर रोड, जिला जयपुर–303804

श्री श्याम सिंह चौधरी पुत्र श्री बीरबल सिंह (साझेदार), श्री परमिंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री तेहल सिंह (साझेदार), श्री देवांग अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल (साझेदार), श्री आदित्य कुमार अनुज पुत्र श्री श्याम सिंह (साझेदार) सभी साझेदार निवासी: एम 9, प्रथम फ्लोर, कालकाजी, दक्षिणी दिल्ली– 110019

गारंटर (नाम और पूरा पता): श्री श्याम सिंह चौधरी पुत्र श्री बीरबल सिंह (गारंटर), पता: एम9, प्रथम तल, कालकाजी, दक्षिणी दिल्ली–110019

श्री परमिंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री तेहल सिंह (गारंटर और बंधककर्ता), श्री देवांग अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल (गारंटर और बंधककर्ता), श्री आदित्य कुमार अनुज पुत्र श्री श्याम सिंह (गारंटर एवं बंधककर्ता), सभी (गारंटर एवं बंधककर्ता) निवासी: एम9, प्रथम तल, कालकाजी, दक्षिणी दिल्ली–110019

आरक्षित मूल्य रुपये 84,74,800/- 1 प्रतिशत टीडीएस (रु. **84,800/-**) सहित होगा और भूमि कर की गणना केवल आरक्षित मूल्य पर की गई है, इसलिए बोली लगाने वाले को बोली गुणक राशि पर 1प्रतिशत आयकर वहन करना होगा। बैंक इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री आदित्य कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह, श्री परमिंदर सिंह पुत्र श्री तेहल सिंह और श्री देवांग अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल के नाम से औद्योगिक सम्पत्ति जिसमें खाता नंबर 48, खसरा नंबर 2017/2008, रकबा 0.63 हेक्टेयर अर्थात् 6300 वर्गमीटर जो गांव कुंभपुरिया, पोस्ट नांगल, कोजु, पटवार हल्का नागल कोजु, तहसील चौमूं, सीकर रोड़, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। सीमाएं:- उत्तर में: खसरा नंबर 1604, दक्षिण में: सड़क, पूर्व में: खसरा नंबर 1609/1, पश्चिम में: खसरा नंबर 2009/1611

*स्थानीय स्वशासन का बकाया रू.. (संपत्ति कर, जल सीवरेज, बिजली बिल इत्यादि)– बैंक को ज्ञात नहीं।
*बैंक के बकाए को वैधानिक बकाए की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है।

ई-नीलामी की तिथि और समय: दिनांक 05.04.2024 को दोपहर 1.00 बजे से शाम 4.00 बजे के मध्य नीलामी प्लेटफार्म https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi पर (प्रत्येक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित) बिक्री पूरी होने तक।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सेवा प्रदाता लिंक https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi या बैंक की वेबसाइट https://www.iob.in देखें।

तारीख: 14.03.2024 — वास्ते इण्डियन ओवरसीज बैंक
स्थान: जयपुर — प्राधिकृत अधिकारी

इस नोटिस को उक्त ऋण के ऋणियों और गारंटरों को उपर्युक्त तिथि को ई–नीलामी आयोजित करने के बारे में प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत एक नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है।

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

(भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2017 का विनियम 14)

ट्राइ–स्टॉर क्रियेटिव प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हितग्राहियों के ध्यानार्थ

1.	निगमित व्यक्ति का नाम	ट्राइ–स्टॉर क्रियेटिव प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	निगमित व्यक्ति के निगमीकरण की तिथि	08/12/1999
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित व्यक्ति निगमीकृत/पंजीकृत है	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) – दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट व्यक्ति की निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	**U24111DL1999PTC102723**
5.	निगमित व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**यूनिट नं. 215, द्वितीय तल, वर्द्धमान सनराइज प्लाजा, भूखंड सं.–1, एलएससी, अभ्यंत अपा. के समीप, वसुंधरा एन्क्लेव, पूर्वी दिल्ली–110096**
6.	निगमित व्यक्ति का परिसमापन आरंभ होने की तिथि	**14 मार्च 2024**
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	**नाम :** अरुण गुप्ता **पंजी. पता :** एस–34, एलजीएफ, ग्रेटर कैलाश–।।, नई दिल्ली–110048 **पंजी. ईमेल आईडी :** arungupta2211@gmail.com **संचार ईमेल आईडी :** tristar.vol.liq@gmail.com **दूरभाष नंबर :** 011–41066313 **आईबीबीआई पंजीकरण सं.:–** IBBI/IPA-002/IP N00051/2016-17/10095 **एएफए सं. :** AA2/10095/02/221124/203023
8.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	13 अप्रैल 2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ट्राइ–स्टॉर क्रियेटिव प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बृहस्पतिवार 14 मार्च 2024 को स्वैच्छिक परिसमापन आरंभ कर चुका है, जो ऋणदाताओं के अनुमोदनाधीन है।

एतद्द्वारा ट्राइ–स्टॉर क्रियेटिव प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हितग्राहियों को निर्देश दिया जाता है कि वे 13 अप्रैल 2024 को अथवा इससे पूर्व परिसमापक के पास, प्रविष्टि सं. 7 के समक्ष वर्णित पते पर, अपने दावों का एक साक्ष्य प्रस्तुत करें। वित्तीय ऋणदातागण दावों के अपने साक्ष्य केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य हितग्राही दावा के साक्ष्य व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं। दावा का साक्ष्य, ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता 2016 तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमावली के अंतर्गत निर्धारितानुसार दावा के अनुसमर्थन में विनिर्दिष्ट प्रपत्रों एवं प्रलेखीय साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है।

प्रासंगिक प्रपत्र तथा घोषणायें वेबसाइट अर्थात् www.ibbi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

दावों के त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

दिनांक : 18 मार्च 2024 — अरुण गुप्ता
स्थान : नई दिल्ली — परिसमापक

अनुसूची I
प्रारूप ए
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

जेएमके मर्केंटाइल लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	**कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम**	**जेएमके मर्केंटाइल लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	28 सितबर, 2004
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित/ पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या	U51909DL2004PLC129495
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	8वीं मंजिल, इरोज अपार्टमेंट 56, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	**14 मार्च 2024**
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	**नाम: अतुल मित्तल** **पता:** 163, बाल्को अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 58, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली–110092 **ईमेल आईडी पर भेजे जाने वाले दावे:** jmkmercantileltd@gmail.com **मोबाइल नंबर:** 9871830777 **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-00439/2017-18/10762
8.	दावे जमा करने की अन्तिम तिथि	**13 अप्रैल 2024**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **जेएमके मर्केंटाइल लिमिटेड** ने **14 मार्च 2024** को स्वैच्छिक परिसमापन आरम्भ किया है।

जेएमके मर्केंटाइल लिमिटेड के हितधारकों को एतद्द्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास **13 अप्रैल 2024** को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
अतुल मित्तल
तिथि : 17 मार्च 2024 — परिसमापक, जेएमके मर्केंटाइल लिमिटेड
स्थान : दिल्ली — **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-00439/2017-18/10762

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

(भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत)

मैसर्स वेस्टस्टॉर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	**निगमित देनदार का नाम**	**मैसर्स वेस्टस्टॉर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड**
2.	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	20/11/2002
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमीकृत/पंजीकृत है	आरओसी, दिल्ली
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं./सीमित दायित्व पहचान सं.	U45201DL2002PTC117709
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पता :– सं. 51, फर्नीचर ब्लॉक, कीर्ति नगर, नई दिल्ली – 110015
6.	निगमित देनदार के संदर्भ में ऋणशोधनाक्षमता आरंभ करने की तिथि	06.03.2024 (आदेश 15.03.2024 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की अनुमानित तिथि	11.09.2024 (15.03.2024 से गणना होनी है)
8.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत् ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम : सौरभ शर्मा पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02550/2021-2022/13951
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, अंतरिम समाधान व्यवसायी का पता एवं ई–मेल	पता : बी–204, प्रथम तल पीछे की ओर, टी–एक्सटेंशन, गली सं. 7, विश्वास पार्क एक्स., उत्तम नगर, दिल्ली 110059 ईमेल : sk04sharma@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के साथ पत्र–व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई–मेल	पता : बी–204, प्रथम तल पीछे की ओर, टी–एक्सटेंशन, गली सं. 7, विश्वास पार्क एक्स., उत्तम नगर, दिल्ली 110059 ईमेल: cirp.wscpl@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	29.03.2024 (आदेश प्राप्ति से 14 दिन)
12.	अंतरिम समाधान व्यवसायी द्वारा सुनिश्चित, धारा 21 की उप–धारा (6ए) के उपवाक्य (बी) के अंतर्गत ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई हों,	एनए
13.	एक श्रेणी के अंतर्गत ऋणदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के नाम	एनए
14.	(प्रत्येक श्रेणी के लिये तीन नाम) (क) सुसंगत प्रपत्र एवं (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण,यहां उपलब्ध हैं :	(क) प्रासंगिक विवरण यहां इस वेब लिंक पर उपलब्ध हैं: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (ख) एनए

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण ने दिनांक 06–03–2024 को मैसर्स वेस्टस्टॉर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड की, एक निगमित ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया, आरंभ करने का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा मैसर्स वेस्टस्टॉर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे 29–03–2024 को अथवा इससे पूर्व अंतरिम समाधान व्यवसायी के पास, प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर, साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें।

वित्तीय ऋणदातागण अपने दावों को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं।

एक वित्तीय ऋणदाता, जो प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्धानुसार, किसी एक श्रेणी से संबंधित है तो उसे फॉर्म सीए में श्रेणी–नाट एप्लिकेबल, के अंतर्गत श्रेणी (श्रेणी निर्दिष्ट करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों में से अपनी रुचि के प्राधिकृत प्रतिनिधि का उल्लेखन करना होगा।

दावों के त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

सौरभ शर्मा
अंतरिम समाधान व्यवसायी
वेस्टस्टॉर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में
पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02550/2021-2022/13951
एएफए की वैधता 18.12.2024 तक
दिनांक : 18–03–2024 — **निवास पता :** बी–204, प्रथम तल बैक साइड, टी–एक्सटेंशन गली सं. 7, विश्वास पार्क एक्स., उत्तम नगर, दिल्ली–110059
स्थान : नई दिल्ली

इक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लि.
(पूर्व में इक्विटास फाइनांस लि. विदित)
कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 769, स्पेन्सर प्लाजा, 4था तल, फेज–II, अन्ना सलाई, चेन्नई, टीएन–600 002

कब्जा सूचना (नियम 8 (1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मै. इक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत संबंधित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

संबंधित ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक नीचे वर्णित, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि सीजेएम अलवर द्वारा उसके मामले प्रतिभूतिकरण 21/23 में आदेश तिथि 9.1.2023 के माध्यम से सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय बकाया राशि जो कि नीचे वर्णित है, के लिये इक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	सूचना धारा 13/2 के अंतर्गत की तिथि	सूचना की राशि (रु.)	कब्जा की तिथि
1. श्री/श्रीमती अग्रेज खा 2. श्री/श्रीमती जरीना एल.नं.: SEIBAWR0297855 शाखा: अलवर	उस पर स्थित वर्तमान तथा भविष्य के सभी सुपर स्ट्रक्चर के साथ पट्टा नं. 016, संकल्प नं. 02, ग्राम बंडोली, ग्राम पंचायत गड़ी, पंचायत रामगढ़, जिला अलवर (राज.), एरिया माप 299.44 वर्ग यार्डस/2695 वर्ग फीट में स्थित आवासीय सम्पत्ति के रूप में गैर कृषि सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। उक्त सम्पत्ति की चौहद्दी: उत्तर: सोराब खान, दक्षिण: पड़ती भूमि, पूर्व: सामूहिक रास्ता, पश्चिम: पड़ती भूमि, एरिया माप 299 वर्ग यार्ड्स/2691 वर्ग फीट।	28.7.2022	रु. 337579/– (रु. तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ उन्यासी मात्र)	15.3.2024

तिथि: 18.03.2024, **स्थान:** बंधोली — **प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लि.**

जोहल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड,

सीआईएन: U67120DL1990PLC209682, आरबीआई पंजीकरण संख्या: बी–14. 03253
कार्यालय: –118, सुनेजा टॉवर –।।, पहली मंजिल, जिला केंद्र, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058, वेबसाइट: www.jilfinance.com

अवितरित मांग सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत सूचना

हमने पहले ही वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत स्पीड पोस्ट/पंजीकृत द्वारा विस्तृत मांग नोटिस जारी कर दिए हैं। उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता को पोस्ट जिसे अस्वीकृत के रूप में चिह्नित करके बिना वितरित लौटा दिया गया है। आप, उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता, आपको, उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता को संबोधित मूल नोटिस/कवर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर द्वारा लौटाकर प्राप्त कर सकते हैं। सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत भविष्य की कार्रवाई से बचने के लिए उपरोक्त उल्लिखित नोटिस की तारीख से 45 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी से डाक अधिकारियों को ब्याज और लागत आदि के साथ शेष बकाया राशि का भुगतान करना होगा। हमने सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत आगे की कार्रवाई के लिए अपने इरादे का संकेत दिया है। अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के अनुसार, यदि आप, उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता 45 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं। आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि धारा 13 की उपधारा 13 के संदर्भ में, आप बैंक/एफआई की सहमति के बिना इस नोटिस के नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियों को बिक्रीध्पट्टेध्अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे। बकाया राशि के साथ खाते और सुरक्षित संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है–

क्र.सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता(ओं)/आवेदक(ओं) और सह–उधारकर्ता(ओं)/ सह–आवेदक(ओं) और गारंटर(ओं) का नाम	गिरवी/चार्ज की गई संपत्ति का विवरण	बकाया राशि (नोटिस ओ/एस–13(2), सरफेसी के अनुसार
1	JIL/twu 16@2017 JIL 047	1. श्री पुष्कर सिंह (आवेदक/उधारकर्ता) 2. श्री सुरेंद्र सिंह (सह–आवेदक/सह–उधारकर्ता) 3. श्रीमती सतेश्वरी भारती (गारंटर)	संपत्ति बेयरिंग संख्या फ्लैट नं. 134, पॉकेट–6, प्लॉट नंबर 4–5, ब्लॉक नंबर 3, नसीरपुर, द्वारका, साउथ वेस्ट, दिल्ली, नई दिल्ली 110045	18,58,314/– (अट्ठारह लाख अट्ठावन हजार तीन सौ चौदह रुपये मात्र) अतिरिक्त ब्याज, व्यय और अन्य शुल्क आदि के साथ।

स्थान: नई दिल्ली — **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**
दिनांक: 18.03.2024 — **जोहल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड**

SURAKSHA Asset Reconstruction

सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड
(पूर्व में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
(सीआईएन: यू74120एमएच2015पीएलसी268857)
पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई भवन, 36 डा. आर.के. शिरोढकर मार्ग, परेल पूर्व मुंबई–400012, दूरभाष : 91 22 4027 3662
फैक्स : 91 22 4027 3700, ईमेल आईडी : pratibha.upadhyay@surakshaarc.com, वेबसाइट : www.surakshaarc.com

परिशिष्ट IV-ए [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत] अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("उक्त नियमावली") के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("उक्त अधिनियम") के अंतर्गत अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशिष्ट रूप में ऋणकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता), के पक्ष में बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका अधिग्रहण सुरक्षा एआरसी 012 न्यास के न्यासी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत् प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय यहां इसमें निम्न विनिर्दिष्ट तिथि एवं समय पर "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जाएगा, जो ऋणकर्ता(ओं) तथा सह–ऋणकर्ता(ओं) की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय राशि की वसूली के लिए किया जाएगा। अचल संपत्ति का आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा का अंकोल्लेखन यहां इसमें नीचे किया गया है।

ऋणकर्ता/सह–ऋण कर्ता(ओं)/प्रतिभूति प्रदाता(ओं) के नाम	संपत्ति का विवरण	भौतिक अधिग्रहण की तिथि	मांग सूचना की तिथि	बोली/धराज प्रस्तुति की अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि जमा (10%) (रु.)	30.10.2023 के अनुसार देय राशि (रु.)
नवीन चौधरी (ऋणकर्ता) अमिता चौधरी (सह–ऋणकर्ता)	नंबर डी–6 के समस्त भाग तथा अंश, जो सेक्टर– 31, नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, अधिमापन 510 वर्ग मीटर (भौतिक अधिग्रहण के अंतर्गत)	07.08.2023	07.03.2017	03.04.2024 को सायं 6.00 बजे तक	04.04.2023 समय : मध्या. 11.00 से दोप. 12:00 बजे	रु. 4,60,00,000/– (रुपये चार करोड़ साठ लाख मात्र)	रु. 46,00,000/– (रुपये छियालीस लाख मात्र)	रु. 7,46,68,612/– (30 अक्टूबर 2023 से भावी ब्याज एवं शुल्क)

नियम एवं शर्तें :–

- नीलामी विक्रय, "ऑनलाइन ई–नीलामी / बोलीदान" के माध्यम से बैंकों के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड – ऑक्शन टाइगर मुंबई संपर्क व्यक्ति श्री रामप्रसाद (मोबाइल) +91: 09265562821/09265562818/09374519754/+91: 6352490773 (ई–मेल)/**ramprasad@auctiontiger.net**, दूरभाष : 079–61200559, वेबसाइट : **https://sarfaesi.auctiontiger.net** के माध्यम से संपन्न होगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने और ई–नीलामी विक्रय कार्यक्रमों में भाग लेने से पूर्व बोली प्रपत्र, निविदा प्रलेख, नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों को देख लें।
- बोलियां, प्रासंगिक विवरणों के साथ निर्धारित प्रारूपों में केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत की जायेंगी।
- बयाना राशि जमा (ईएमडी), निर्धारित आरक्षित मूल्य का 10: होगी और बोलियों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित खाता में आरटीजीएस / एनईएफटी / फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जायेगी :–

विवरण	
बैंक एवं शाखा का नाम : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	लाभार्थी का नाम :– सुरक्षा एआरसी 012 ट्रस्ट
खाता संख्या 039305012490	आईएफएससी कोड :– ICIC0000323

- प्रस्तुत की जाने वाली बोली का मूल्य, आरक्षित मूल्य से अधिक होगा और बोलीदाताओं को रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में अपने भावी प्रस्ताव में सुधार करना होगा। संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य से कम उद्धृत बोली अस्वीकार कर दी जायेगी और जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जायेगी।
- सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता की घोषणा के दिन या उसके अगले कार्यदिवस तक, जैसा भी प्रकरण हो, क्रय राशि का 25% (उपरोक्तानुसार भुगतान की गई 10% की धरोहर राशि जमा सहित) का भुगतान करना होगा। क्रय मूल्य के शेष 75: राशि का, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा विक्रय के पुष्टिकरण के 15वें दिन या उससे पूर्व या क्रेता तथा प्रतिभूत ऋणदाता के मध्य लिखित में अनुबंधितानुसार ऐसी विस्तारित अवधि में, किंतु किसी भी प्रकरण में तीन माह से अधिक नहीं, के अंदर भुगतान करना होगा।
- असफल बोलीदाता की ईएमडी, नीलामी की तिथि से 15 कार्यदिवसों के अंदर, ई–नीलामी कार्यक्रमों के समापन पर, वापस कर दी जायेगी।
- विक्रय, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा पुष्टिकरण के अधीन है। यदि उधारकर्ता/गारंटर, विक्रय विलेख निष्पादन की तिथि से पूर्व प्रतिभूत ऋणदाता को देय राशि का पूर्ण भुगतान कर देते हैं, तो कोयी विक्रय कार्यक्रम नहीं होगा।
- संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में स्वयं उचित परिश्रम करें। प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त बंधककृत संपत्ति के संबंध में शासन या किसी व्यक्ति को देय किसी भी शुल्क, धारणाधिकार, ऋणभार, संपत्ति कर अथव किसी अन्य बकाया के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। डीआरटी लखनऊ में एसए नं. 382/2023 लंबित है।
- इच्छुक पार्टियों / निविदाकर्ताओं द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करके उपरोक्त बंधककृत संपत्ति का **28–03–2024 को मध्या. 11:00 से अप. 2:00 बजे** तक निरीक्षण किया जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा / निविदाओं (किसी भी संपत्ति के लिये) को अस्वीकार करने का अधिकार है।
- यहाँ कुछेक निश्चित न्यूनतम सोसायटी बकाये लंबित हैं।
- विक्रय की शर्तों के अनुपालन पर, प्राधिकृत अधिकारी सफल क्रेता के पक्ष में 'विक्रय प्रमाणपत्र' निर्गत करेंगे। स्टांप शुल्क, पंजीकरण प्रभारों, कंवेयंस, वैट/जीएसटी, इत्यादि से संबंधित समस्त व्ययों का भुगतान क्रेता द्वारा वहन किया जाना है। सफल क्रेता, उक्त अचल संपत्ति के क्रय के संबंध में स्रोत पर कर कटौती से संबंधित आय कर अधिनियम 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा।
- विक्रय, उक्त अधिनियम तथा उक्त नियमावली में निर्धारित शर्तों और ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधीन है।
- अन्य भावी विवरणों के लिये, प्राधिकृत अधिकारी से +91 9899697606 पर संपर्क करें।
- विस्तृत नियमों एवं